

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
वमुकद में ईक्टदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ज्येष्ठ अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 451/2023
पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति अराई निवासी लीलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. करतार सिंह } पुत्रगण इन्द्रसिंह
2. नाहर सिंह }
3. निर्मल सिंह } पुत्रगण राणासिंह
4. मलकीत सिंह }

जाति अराई निवासीगण मानकसर तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ़।

5. नाबालिग विशाल पुत्र राणासिंह सरपरस्त माता सुभद्ररानी पत्नी राणासिंह जाति अराई निवासीगण मानकसर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. सुभद्ररानी पत्नी राणासिंह जाति अराई निवासीगण मानकसर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 4. 6. 2023

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल
ऑफिसर हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री वकील
तेवादी संख्या मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.
संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्लिदयत एवं सकूनात	चक का नाम खालों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1 करतार सिंह 0.443 हि. 2 नाहर सिंह 0.443 हि. पि. इन्द्र सिंह 3 निर्मल सिंह 0.063 हि. 4 मलकीत सिंह 0.063 हि. पि. ठाना सिंह 5 ना.बा. विशाल पुत्र राणा सिंह सरपरस्त माता सुभद्ररानी पत्नि राणा सिंह 0.063 हि. 6 सुभद्ररानी पत्नि राणा सिंह 0.253 हि. जाति अराई निवासी मानकसर 7 हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह 0.443 हि. राहिन एसबीआई लीलावाली जाति अराई निवासी लीलावाली खातेदार	प.मं. मानकसर के चक 1 आरआरडब्ल्यू के खाता सं. 10/62 खाते का योग 1.771 हैक. (विवादित श्रेणी का नहीं है) 1-0.443, 2/0.443, 3-0.063, 4-0.063, 5-0.063, 6-0.253, 7-0.443 कुल- 1.771 हैक.	हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह राहिन एसबीआई लीलावाली जाति अराई निवासी लीलावाली 1 करतार सिंह 0.443 हि. 2 नाहर सिंह 0.443 हि. पि. इन्द्र सिंह 3 निर्मल सिंह 0.063 हि. 4 मलकीत सिंह 0.063 हि. पि. ठाना सिंह 5 ना.बा. विशाल पुत्र राणा सिंह सरपरस्त माता सुभद्ररानी पत्नि राणा सिंह 0.063 हि. 6 सुभद्ररानी पत्नि राणा सिंह 0.253 हि. जाति अराई निवासी मानकसर	प.न. 150/226 मु. न. 15 का कि.न. 15/0.190 मिन, 16/0.253 कुल-0.443 हैक. प.न. 150/226 मु. न. 15 का कि.न. 15/0.063 मिन, 17/0.253, प.न. 151/226 मु.न. 9,11,12,13/1.012 कुल-1.328 हैक.


सहायक कलक्टर एय
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का कार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1195 दिनांक 15.04.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट - यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....4.6.2025.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

